न्यायालय न्याय निर्णयन् अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,जालोर

पीठासीन अधिकारी	श्री छगनलाल गोयल, आर.ए.एस.
परिवाद संख्या	39 / 2017

प्रार्थी:–	बनाम	अप्रार्थीगण:–
सरकार जरिये श्री दिलीपसिंह, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जालोर हाल पाली		1.जेठाराम शर्मा पुत्र श्री हिम्मतमलजी मैसर्स नवकार आईसक्रीम पार्लर,राजेन्द्रनगर , जालोर निवासी कांकरीयावास, चार थूई धर्मशाला के पास, जालोर 2.श्री पार्श्वनाथ टेडिग कम्पनी,नियर अम्बेडकर सकिल ,पाली

अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(।।) एफएसएसए एक्ट 2006 विनियम 2011

उपस्थिति :–
1.श्री भरतकुमार, अभियोजन अधिकारी, जालोर प्रार्थी की ओर से।
2.श्री राजेन्द्र कच्छवाह व श्री रणजीतकुमार भट्ट,अप्रार्थी सं.1 की ओर से।
3.अप्रार्थी सं.2 अनुपस्थित।

निर्णय दिनांक 18.2.2020

1. प्रार्थी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी में खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य सम्पन्न कर रहे है और प्रार्थी (दिलीपसिंह) को राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना नोटिफिकेशन एच/ पीएफए/ नोटिफिकेशन/ 2011/ 440 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियां प्रयुक्त करने के लिए अधिकृत किया गया है। आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक(जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं राज. जयपुर के आदेश कमांक 775/10.8.11 के अनुसार प्रार्थी(दिलीपसिंह) को कार्यक्षैत्र कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जालोर आवंटित किया गया था अब वे पाली में कार्यरत है व जालोर का अतिरिक्त चार्ज उनके पास है, कमांक शासन उप सचिव,कार्मिक विभाग, राजस्थान जयपुर जारी अधिसूचना कमांक/प.1(2)कार्मिक/क–4/08 दिनांक 5.4.2012 के द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा 1 के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले में कार्यरत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेटो को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अधिनस्थ कार्यक्षैत्र के लिए न्याय निर्णयन् अधिकारी नियुक्त किया गया है।

2. खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जालोर हाल पाली ने अप्रार्थी के विरूद्ध एक परिवाद इस आशय का प्रस्तुत किया कि प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी को दिनांक 13.5.2015 को दौराने गश्त 4.00पी.एम. पर मैसर्स नवकार आईसक्रीम पार्लर,राजेन्द्रनगर जालोर पहूंचने पर वहां पर जेठाराम शर्मा को पाया जिसको प्रार्थी ने अपना परिचय दिया व परिचयपत्र दिखाया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने जेठाराम शर्मा एवं गवाहान की उपस्थिति में वहां दुकान का निरीक्षण करने पर पाया कि वहां रखे हुए 85 मूल कप आईसक्रीम (ब्राण्ड–फ्रंट बोनेन्जा) Suncity के रखी है जिनके बारे में विक्रेता जेठाराम शर्मा ने बताया कि यह आम जन को बिक्री के वास्ते रखी हुई है जिसमें मिलावट का शक होने पर रूबरू गवाहान् के सामने प्रपत्र5–ए भरकर दिया, प्रपत्र 5–ए की दूसरी प्रति पर रसीद प्राप्त कर ,जिस पर प्रार्थी, गवाहान् व विक्रेता के हस्ताक्षर है। प्रपत्र 5–ए देने से पहले विक्रेता को बता दिया था कि आईसक्रीम (ब्राण्ड–फ्रंट बोनेन्जा) Suncity का नमूना वास्ते जांच हेतु ले रहा है, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने विक्रेता व गवाहान् की उपस्थिति में वहां रखे हुए आईसक्रीम (ब्राण्ड–फ्रंट बोनेन्जा) Suncity के 16 मूल कप आईसक्रीम (ब्राण्ड–फ्रंट बोनेन्जा) Suncity के जो प्रत्येक 85 एम.एल. के है, वास्ते जांच हेतु क्रय कर जिसकी कीमत विक्रेता को 160रू.नगद देकर रसीद प्राप्त की ,जिस पर प्रार्थी, विक्रेता व उपस्थित गवाह के हस्ताक्षर है, प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने विक्रेता तथा गवाहान् की उपस्थिति में खरीद किये गये कप आईसक्रीम (ब्राण्ड–फ्रंट बोनेन्जा) Suncity को चार भाग करके ,चार साफ कांच की चार साफ सूखी एवं खाली शीशी लेकर ,प्रत्येक में लेकर प्रत्येक नमूना शीशी में फोरमेलिन की 36–36 बुन्द डालकर ढक्कन एयर टाईट बंद किया, लेबल तैयार किये गये, लेबल पर डी.ओ.एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जालोर का कोड व सिरियल नम्बर ओ–523 लिखकर , नमूने का विवरण अंकित किया, प्रत्येक लेबल पर विक्रेता व गवाहान् के हस्ताक्षर करवाये तथा प्रार्थी ने भी हस्ताक्षर किये, उक्त तैयार लेबल में से एक–एक लेबल प्रत्येक नमूना शीशी पर गोंद से चिपकाया , प्रत्येक नमूना शीशी को अलग अलग खाकी कागज में लपेट कर सिरों को सफाई से मोडकर गोंद से चिपकाया व प्रत्येक नमूना शीशी पर डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जालोर की हस्ताक्षर युक्त पेपर स्लिप, कोड व क्रमांक ओ–523 गोंद से नियमानुसार चारो नमूना शीशी के मुंह से पैंदे की ओर चिपकाई तथा प्रत्येक नमूना शीशी को नियमानुसार धागे से बांधकर चपडी से सीलबंद ,सील मुहर कर , एक सील नमूना शीशी के मुंह पर ,एक सील पैंदे पर ,दो नमूना शीशी की बॉडी पर जहां पर धागे की गांठ लगाई ,पर चपडी लगाकर सीलबंद व

सीलमुहर किया,जिस पर विक्रेता व गवाहान् ने हस्ताक्षर नियमानुसार पेपर स्लिप व खाकी कागज को क्रोस करते हुए हस्ताक्षर किये एवं प्रार्थी ने भी हस्ताक्षर किये,नियमानुसार नमूना लेकर चारो सीलबंद नमूना शीशी को प्रार्थी ने जाब्ते में लिया,मौके पर विक्रेता ने श्री पार्श्वनाथ टेडिंग कम्पनी पाली का बिल क्रमांक 1774 दिनांक 4.5.2015 की प्रति पेश की।
प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर मौका फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर,सुनाकर ,हस्ताक्षर करने को कहा जिन्होने स्वयं ने भी पढकर,सुनकर एवं समझकर एवं सही मानकर हस्ताक्षर किये एवं स्वयं प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये । खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहूंचकर फार्म न.6 की प्रतिया तैयार की तथा प्रत्येक नमूना पर सील लगाई जिससे नमूना सील की थी । एक नमूना मय फार्म नं.6 की एक प्रति आउटर कंवर में चपडी से सील बन्द एवं सील मोहर कर, दो फार्म नं.6 की प्रति अलग से एक लिफाफा में बन्द कर ,चपडी से सील मोहर कर ,दो सीलबंद नमूना शीशी तथाशेष नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं. 6 की प्रतियां आउटर कंवर में चपडी से सीलबंद कर ,सील मोहर कर डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वाथ्य अधिकारी जालोर को दिनांक 14.5.2015को प्रार्थी स्वयं ने जमा कराकर रसीद प्राप्त की एवं श्री मोहनलाल चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर,राजस्थान को दिनांक 15.5.2015को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डीओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जालोर के पत्र क्रमांक/एफएसएसए /2015/2552 दिनांक 22.6.15 के द्वारा जांच रिपोर्ट संख्या एल एस /327/एक्ट /2015/327 दिनांक 26.5.2015 के द्वारा मालूम हुआ कि प्रार्थी द्वारा लिया गया आईसक्रीम (ब्राण्ड–फ्रंट बोनेन्जा) Suncity नमूना Misbranded under Section 3(1)(ZF)(c)(i)Food Safety and Standard Act 2006 पाया गया है। अभिहित अधिकारी द्वारा विक्रेता को पत्र क्रमांक:एफएसएसए/2015/ 2551–52 दिनांक 22.6.15 से उक्त मूल जांच रिपोर्ट भेजी। प्रार्थी द्वारा सभी दस्तावेजात् डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जालोर को दिनांक 29.4.16 को आवश्यक कार्यवाही हेतु पेश किये गये। निदेशक महोदय, के पत्र क्रमांक:एफएसएसए/स.सी./2017/837 दिनांक 4.8.2017 वी.के.माथुर ,आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) एवं निदेशक(जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें ,राज. जयपुर ,खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 77 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जनहित में प्रकरण को न्यायालय में पेश करने की समय सीमा दिनांक 30.9.17 तक विस्तारित किये जाने की अनुमति प्रदान

की गई है, डी.ओ. व मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जालोर ने उक्त मूल पत्रावली का अध्ययन के बाद पत्र कमांक/ एफएसएसए/ स्वीकृति /2017/ओ-523 /3694 दिनांक 4.9.2017 के द्वारा प्रार्थी को उक्त कैस में अभियोजन स्वीकृति जारी कर न्याय निर्णयन् अधिकारी को प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया। अप्रार्थी सं.1 जेठाराम व अप्रार्थी सं.2 श्री पार्श्वनाथ टेडिंग कम्पनी ,नियर अम्बेडकर सर्किल पाली ने आईसकीम (ब्राण्ड-फंट बोनेन्जा) Suncity MisbrandedunderSection 3(1)(ZF)(c)(I)Food Safety and Standard Act 2006 विकय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(2)का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है ।

3. खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य क्षैत्र नोटिफिकेशन की प्रति, समयसीमा विस्तारित किये जाने का आदेश, नमूना खरीद बिल असल, मौका फर्द रिपोर्ट,फार्म नं.5ए असल, फार्म नं.6 असल एवं प्राप्ति रसीद (पुश्त पर),खाद्य विश्लेषक जोधपुर द्वारा खाद्य नमूना संख्या 0-523की प्राप्ति रसीद, अभिहित अधिकारी द्वारा खाद्य नमूना 0-523 की जमा रसीद, मु.चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जालोर का पत्र कमांक एफ एसएसए/ 2015/2552दिनांक 22.6.15 मय खाद्य विश्लेषक जोधपुर की जांच रिपोर्ट मूल,आदि कागजात् प्रस्तुत किये है।

4. खाद्य सुरक्षा अधिकारी से परिवाद प्राप्त होने पर दिनांक 15.12. 2017 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को विधिवत् नोटिस जारी कर अपना पक्ष दिनांक 29.1.18 को कार्यालय हाजा में स्वयं या उनके प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करने हेतु पाबन्द किया गया। अप्रार्थी सं.1की ओर से उनके वकील उपस्थित ,जिन्होने अप्रार्थी की ओर से जवाब पेश नही किया गया।अप्रार्थी सं.2 अनुपस्थित रहे है।

5. साक्ष्य सरकार सं.1-श्री दिलीपसिंह,खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जालोर हाल-पाली के बयान दिनांक 9.1.2020को लिये गये। शेष साक्ष्य सरकार गौण होने से बयान लेना उचित नही समझते है।

6. उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात् का अवलोकन किया एवं परिवाद में वर्णित तथ्यों तथा इसके साथ संलग्न दस्तावेजात्, साक्ष्य सरकार सं.1 के बयान तथा खाद्य विश्लेषक जोधपुर से प्राप्त जांच-रिपोर्ट संख्या एल एस/ 327/ एक्ट/ 2015/ 327 दिनांक 26.5.15 से स्पष्ट हैं कि अप्रार्थी सं.1- जेठाराम शर्मा पुत्र श्री हिम्मतमलजी मैसर्स नवकार आईसकीम पार्लर,राजेन्द्रनगर , जालोर निवासी कांकरीयावास, चार थूई धर्मशाला के पास, जालोर 2.श्री पार्श्वनाथ टेडिग कम्पनी,नियर अम्बेडकर सर्किल ,पाली ने आईसकीम

(ब्राण्ड–फ्रंट बोनेन्जा) Suncity MisbrandedunderSection 3(1)(ZF)(c)(।) Food Safety and Standard Act 2006 का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(2)का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है। उपरोक्त प्रावधान को मध्येनजर रखते हुए अप्रार्थी सं.1 व 2 को जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाना उचित प्रतीत होता है।अतः अप्रार्थी द्वारा खाद्य मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(2)के उल्लंघन करने एवं अपराध कारित करने के कारण उपरोक्त अधिनियम की धारा 52 के तहत् प्रदत्त शक्ति का उपयोग करते हुए अप्रार्थी सं.1–जेठाराम शर्मा पुत्र श्री हिम्मतमलजी मैसर्स नवकार आईसक्रीम पार्लर,राजेन्द्रनगर, जालोर निवासी कांकरीयावास, चार थूई धर्मशाला के पास, जालोर पर 10,000/–रूपये, अक्षरे दस हजार रूपये मात्र तथा अप्रार्थी सं.2–श्री पार्श्वनाथ टेडिंग कम्पनी,नियर अम्बेडकर सकिल ,पाली पर 10,000/रूपये ,अक्षरे दस हजार रूपये मात्र, कुल 20,000/–रू.अक्षरे बीस हजार रूपये मात्र की शास्ति आरोपित की जाती है। साथ ही मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जालोर को निर्देश दिये जाते हैं कि वे उक्त राशि अप्रार्थीगण से वसूल कर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित बजट हैड– "0210–चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, (03)–खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञापत्र शुल्क आदि" में नियमानुसार जमा करवाकर चालान की प्रति पेश करे।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 18.2.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(छगनलाल गोयल)
न्याय निर्णयन अधिकारी
(अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट)
जालोर

क्रमांक

दिनांक 18.2.2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1.खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक (जन स्वास्थ्य)चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राजस्थान जयपुर।

2.अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जालोर।

3.श्री दिलीप सिंह, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जालोर हाल– कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पाली।

4.जेठाराम शर्मा पुत्र श्री हिम्मतमलजी मैसर्स नवकार आईसक्रीम पार्लर,राजेन्द्रनगर, जालोर निवासी कांकरीयावास, चार थूई धर्मशाला के पास, जालोर /.श्री पार्श्वनाथ टेडिग कम्पनी,नियर अम्बेडकर सकिल ,पाली ने आईसक्रीम (ब्राण्ड–फ्रंट बोनेन्जा) Suncity

(छगनलाल गोयल)
न्याय निर्णयन अधिकारी
(अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट)
जालोर